न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 03/2016

1. श्री बाबू लाल पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण
2. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण

निवासियान बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री उमराव खॉ पुत्र श्री छोटू खॉ जाति मुसलमान उम्र बालिग साकिन राजनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नंद सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग साकिन बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
3. श्री राधेश्याम पुत्र श्री भैरू उर्फ हीरा लाल जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग साकिन बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
4. श्री संजय पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप उंम्र बालिग जाति ब्राहम्ण साकिन बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:– निर्णय :– दिनांक 22.06.2016

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बाडी तहसीलदार बिजयनगर स्थित अराजी खसरा न0 232 रकबा 00–11–00 बिस्वा व 232/1793 रकबा 02–01–00 उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की अराजी है जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थीगण जो पडौसी काश्तकार है विवाद करते रहते है। तहसीलदार महोदय के आदेश से कराये गये सीमा ज्ञान को भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बाडी पर पेश हुई। प्रार्थी सं0 1 असालतन वकालतन हाजिर। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाडी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं0 424 की अराजी खसरा न0 232 में प्रार्थी तन्हा रूप से खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थियागण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को रु. 1500/– कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह मौजा बाडी स्थित अराजी न0 232 व 232/1793का मौके पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बाडी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 15:37:56 IST
Reason: SelfAttested